

चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र

1. बिहार विधान मंडल सदस्य/पूर्व सदस्य का नाम –
2. बिहार विधान मंडल के सदस्य/ पूर्व सदस्य से संबंध –
3. रोग/बीमारी का नाम –
4. चिकित्सा कराये गये सरकारी/सी०जी०एच०एस० से मान्यता प्राप्त/अन्य अस्पताल का नाम –
5. चिकित्सा की अवधि तथा चिकित्सा कराने की प्रकृति–
(क) अंतर्वार्सी चिकित्सा – दिनांक से दिनांक तक
(ख) बहिर्वार्सी चिकित्सा – दिनांक से दिनांक तक
6. राज्य के बाहर चिकित्सा कराने हेतु सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा है या नहीं, संस्थान/पद. नाम –
7. सक्षम प्राधिकार द्वारा चिकित्सा कराने की स्वीकृति (अनुमति)/घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है या नहीं –
8. चिकित्सा में हुए कुल व्यय राशि –

चिकित्सारत संस्थान के अधीक्षक/निदेशक
का हस्ताक्षर एवं मुहर

नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

चेक लिस्ट

**माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा एवं उनके आश्रित तथा मा० पूर्व सदस्य,
बिहार विधान सभा (पति/पत्नी) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में**

राज्य के अंदर करायी गयी चिकित्सा

(A) बहिर्वासी चिकित्सा (आउटडोर)

- (1) बाह्य चिकित्सा संबंधी चिकित्सक का पुर्जा (प्रिस्कीप्शन की प्रति) - हाँ नहीं
- (2) क्रय किये गए दवा एवं जाँच संबंधी विपत्रों पर सक्षम चिकित्सक का हस्ताक्षर एवं मुहर - हाँ नहीं
- (3) चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उस पर चिकित्सक, चिकित्सा संस्थान के अधीक्षक या निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर - हाँ नहीं
- (4) चिकित्सा विपत्र सरकारी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित - हाँ नहीं

-	हाँ	नहीं

(B) अन्तर्वासी चिकित्सा (अस्पताल में भर्ती होने पर)

- (1) अन्तर्वासी चिकित्सा संबंधी डिस्चार्ज समरी की मूल प्रति - हाँ नहीं
- (2) डिस्चार्ज समरी की मूल प्रति पर सक्षम चिकित्सक या चिकित्सा संस्थान के अधीक्षक या निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर - हाँ नहीं
- (3) क्रय किये गए दवा एवं जाँच पर हुए व्यय संबंधी विस्तारित विपत्रों की मूल प्रति तथा विपत्रों पर सक्षम चिकित्सक का हस्ताक्षर एवं मुहर - हाँ नहीं
- (4) सभी विपत्रों पर माननीय सदस्य/पूर्व सदस्यों द्वारा भुगतान प्रमाण पत्र (मेरे द्वारा भुगतान किया गया है)

-	हाँ	नहीं

राज्य के बाहर करायी गयी चिकित्सा

(A) बहिर्वासी चिकित्सा (आउटडोर)

- (1) बहिर्वासी चिकित्सा की स्थिति में चिकित्सा विपत्र सरकारी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित - हाँ नहीं
- (2) चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा चिकित्सक द्वारा अनुशासित पैथोलोजिकल/अन्य जाँच एवं दवा का ही किया गया है - हाँ नहीं

-	हाँ	नहीं
-	हाँ	नहीं

(B) अन्तर्वासी चिकित्सा (अस्पताल में भर्ती होने पर)

- (1) राज्य के बाहर चिकित्सा कराने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा निर्गत अनुशंसा पत्र (रेफर लेटर) (विशेषज्ञ चिकित्सक (I) सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/इन्डिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राध्यापक या समकक्ष जिनके द्वारा अनुशंसा (रेफर) की गई हो, परन्तु हृदय रोग के मामले में इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पी०एम०सी०एच०, पटना संस्थान के निदेशक ही विशेषज्ञ चिकित्सक माने जायेंगे।)

-	हाँ	नहीं
-	हाँ	नहीं

		हाँ	नहीं
(2)	राज्य के बाहर चिकित्सा कराने जाने के पूर्व सचिव, बिहार विधान सभा को रेफर लेटर की छायाप्रति लगाकर सूचना दी गई है -	हाँ	नहीं
(3)	यदि सूचना दी गई है तो माननीय सदस्य/पूर्व सदस्यों को चिकित्सा हेतु अनुमति प्रदान करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है	हाँ	नहीं
(4)	माननीय सदस्य/पूर्व सदस्य (पति/पत्नी) हृदयघात, ब्रेन हेमेज एवं गंभीर सड़क दुर्घटना से ग्रसित है तो इसकी सूचना यथाशीघ्र सचिव, बिहार विधान सभा को भेज दी गई है ?	हाँ	नहीं
(5)	माननीय सदस्य/पूर्व सदस्यों द्वारा स्वयं अथवा आश्रितों से संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान प्राप्त करने हेतु अनुरोध पत्र	हाँ	नहीं
(6)	माननीय सदस्य द्वारा परिवार के सदस्य का उनपर पूर्ण रूप से आश्रित होने की सूचना तथा माझे पूर्व सदस्य का (पति/पत्नी) का उनपर पूर्ण रूप से आश्रित होने की सूचना	हाँ	नहीं
(7)	पूर्व सदस्य के मामले में आवेदन के साथ भारतीय स्टेट बैंक का खाता संख्या संलग्न है अथवा अंकित है	हाँ	नहीं
(8)	पूर्व सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पत्राचार का पता एवं मोबाइल संख्या अंकित है	हाँ	नहीं

(हस्ताक्षर)
माझे सदस्य / पूर्व सदस्य

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव
बिहार विधान सभा, पटना।

तारीख -

स्थान -

बिहार सरकार
स्थानीय विभाग

अधिकारी

पटना, दिनांक १५ फरवरी, २००८

सं0 सं0 14 / एम 12-05 / 98 228(14) / बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वैतन भत्ता और पैशान) अधिनियम 2006 की घारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -

बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य की घिक्ता परिवर्या नियमोंवली, 2008 -

१-संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ -(१)यह नियमावली बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य विकिस्तीय परिचर्या नियमावली 2008 की जायगी।

(2) यह पहली अक्टूबर, 2006 के प्रभाव से प्रदृश समझी जायगी।

2-परिमाणाएः—जब तक कोई यात, विषय या संदर्भ के विलक्षण न हो इन नियमावली में :-

- (क) "सदस्य" से अभिप्रेत है, बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद के सदस्य।

(ख) "पूर्व सदस्य" से अभिप्रेत है, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य।

(ग) "विशेषज्ञ विकित्सक" से अभिप्रेत है, सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राच्यापक या समकक्ष जिनके द्वारा अनुशासन की गयी हो परन्तु हृदय रोग के नामले में इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के निदेशक ही विशेषज्ञ विकित्सक माने जायेगे।

(घ) सरकारी अस्पताल से अभिप्रेत है सरकारी अस्पताल अथवा सरकार द्वारा समर्थित अस्पताल।

(ङ) "मान्यता प्राप्त अस्पताल" से अभिप्रेत है वैसे निजी अस्पताल जो बिहार सरकार द्वारा उपचार के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त हो। इसने सी०-जी० एच० एस० ले मान्यता प्राप्त अस्पताल भी सम्मिलित है।

(छ) "सभा" और "परिषद" से अभिप्रेत है, क्रमशः बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद।

3- हकदारी:- राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों एवं उनपर आधिकार उन्हें परिवार के सदस्य राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के लिए। ऐ पदाधिकारियों के सम्मान विकास उपचार एवं प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। पूर्व सदस्य एवं उन्हें पहति/पाली भी इस नियमावली द्वारा उपचार तथा प्रतिपूर्ति की सुविधा के हकदार होंगे।

✓ 4- राज्य से बाहर उपचार - (1) किसी गवर्नर शीभारी की दशा में विशेषज्ञ विकासक भी अनुसंधान पर सरकारी अस्पतालों में अधिक राज्य सरकार/सीएफआरएचओ एस० हारी मास्टर्स प्राप्त अस्पतालों में क्षमतावाली उपचार प्राप्त किया जा सकता है। विशेषज्ञ विकासक की अनुसंधान पर राज्य के बाहर उपचार के लिए अनुमति देने विशेषज्ञ विकासक/विधान परिषद सभा विधिकारी होंगे।

(2) हृदयधात, बैन क्रेसेज, और गवर्नर सडक घूर्णन की दशा में सदस्य/पूर्व सदस्य/राज्य से बाहर सरकारी या स० जी० एस० एस० से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार के लिए बिना पूर्णानुमति के प्रस्थान कर सकते हैं, यदि अस्पताल आपाती स्थिति हो, किंतु यथा संभव शीघ्र आपराधिक सूझा संकेत, विशेषज्ञ सभा/ विहार विधान परिषद, को भेज ही जायगी।

5- राज्य के भीतर उपचार-राज्य के भीतर सरकारी अधिकारी मास्टर्स अस्पतालों में अन्वेषात्मीय विकासक प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ संकेत, विशेषज्ञ सभा और विहार विधान परिषद, उपचार एवं उपगति भुगतान सीधे संबंधित सदस्यों/पूर्व सदस्यों को नियम-7 के अनुसार अनुमति करेंगे।

6- अधिक एवं प्रतिपूर्ति - (1) यदि सरकारी अस्पतालों या मास्टर्सार्स अस्पतालों ने उपचार काला गदा होतो अस्पतालों के प्राप्तकाल के आधार पर अस्वीकारण-अधिकारी जी० एस० ने अस्पतालों ने उपचार के लिए मंजूर अधिक छः माह के भीतर सदस्य/पूर्व सदस्यों द्वारा समायोजित करवाया होगा। अधिक की मंजूरी के परचात एक माह के भीतर पूर्व उपचार आरंभ मही किया जाता है, तो ऐसे अधिक की पूरी राशि सदस्यों/पूर्व सदस्यों को भागत करनी होगी अन्यथा यह सदस्यों के बेतन/पूर्व राजदान के बेतन से सनायोजित की जाएगी।

(2) यदि प्रतिपूर्ति की राशि मंजूर अधिक से कम हो तो आंतर की राशि संबंधित सदस्य/पूर्व सदस्य को एक माह के भीतर समायोजन को लिए एक किस्त में जमा करनी होगी।

(3) पूर्व सदस्य को अधिक लेते सदस्य वर्ष नहीं किये गये अधिक को विहित अवधि के भीतर एक किस्त में वापस करने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा।

7- प्रतिपूर्ति अधिकार:- 2.00 लाख (दो लाख) रुपये तक की मंजूरी देने हेतु वित्त विभाग द्वारा नियुक्त/प्रतिनियुक्त आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से सचिव विधान सभा / विधान परिषद् सक्षम होंगे। यदि राशि 2 लाख (दो लाख) रुपये से अधिक हो तो विपत्र की जांच एवं सबधित अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताकर के प्रश्नात आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से अधिक विहार विधान सभा/ सभापति विहार विधान परिषद् द्वारा प्रतिपूर्ति मंजूर की जाएगी।

8- बहिर्वासी विकित्सा:- बहिर्वासी उपचार की सुविधा यही रहेगी जो उन रोगों की दशा में जिसके लिए बहिर्वासी उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृति की जाती है। ऐसे रोगों की विकित्सा के मामले में सदस्य/ पूर्व सदस्य स्वयं अथवा आश्रितों के उपचार के लिये विपत्र अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताकरित कराकर सचिव विहार विधान सभा/ सचिव विहार विधान परिषद् को देंगे। सुचिय विहार विधान सभा/ विधान परिषद् सदस्य/ पूर्व सदस्य को राशि मंजूर करेंगे।

9- परिचारी:- रोगी के साथ एक परिचारी की स्वीकृति दी जायगी वह उसी श्रेणी में यात्रा करने का हकदार हैग़।

10-निरसन एवं व्यावृत्ति:- इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से विहार विधान मंडल के सदस्य/ पूर्व सदस्य हेतु प्रवृत्त विकित्सीय उपचार नियमावली 2000 निरस्त समझी जायेगी। ऐसे निरसन के होते हुए निरसीत नियमावली के प्रावधानों के अधीन किये गये कुछ भी का या की गयी किसी भी कार्रवाई का पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन बदलाव या किसी भी रीति से प्रभावित नहीं किया जायगा/ की जायेगी मानो उक्त नियमावली निरसित नहीं की गयी हो।

आदेश आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को विहार राज्य के असाधरण गजट के अगले अंक में सर्व साधरण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

विहार राज्यपाल के आदेश से

(अमरेन्द्र नारायण सिंह)

सरकार के अपर आयुक्त

ज्ञाप सं 228(14)

दिनांक 25/2/08

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना के गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2 इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कर्तव्य करें।

सरकार के अपर आयुक्त

ज्ञाप सं 228(14)

दिनांक 25/2/08

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, विहार, पटना/कोशगार पदाधिकारी सचिवालय सिचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लाप सं० 228(14)

दिनांक 25/2/08

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, विज्ञ विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/प्रधान सचिव, मन्त्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/राज्य पाल सचिवालय, बिहार, पटना/विशेष सचिव मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य मंत्री के आप सचिव बिहार पटना./उप मुख्यमंत्री के आप सचिव, बिहार, पटना/आप सचिव, मंत्री स्वास्थ्य विभाग पटना को एवं देशी विकिस्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 550 (पाथ सी पदास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सचिव बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसें बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों के बीच वितरीत करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- 250(दो सी पदास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों के बीच वितरीत करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- सभी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य संवाध, बिहार, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अधीक्षक सभी मैडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य सभी मैडिकल कालेज/सभी सिविल सर्जन/अधीक्षक, सभी सदर अस्पताल/स्टेट लोप्रोसी आफ्फीसर, स्वास्थ्य भवन, पटना/निदेश टी० १०० ३०० ५०० पटना, दरमांगा/सभी क्लीनिक उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाये/मुख्य मलेरिया पदाधिकारी बिहार, पटना/सहायक निदेशक फाइलेरिया को सूचनार्थ।

सरकार के अपर आयुक्त

6/14